

भारत के राजपत्र असाधारण (भाग-1 खण्ड-1) में प्रकाशनार्थ
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 19 / 2015-2020
नई दिल्ली, दिनांक: 5 जून, 2015

विषय:- पोत लदान-पूर्व जाँच एजेंसी (पी एस आई ए) के संबंध में सार्वजनिक सूचना सं० 12/2015-2020, दिनांक 18.05.2015 द्वारा यथा अधिसूचित विदेश व्यापार नीति 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.55 और 2.56 में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा सार्वजनिक संख्या 12/2015-2020, दिनांक 18.05.2015 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

1. सार्वजनिक सूचना सं. 12/2015-2020, दिनांक 18 मई, 2015 के पैरा 4 में संशोधन

संशोधित पैरा 4 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

विदेश व्यापार नीति 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक के संशोधित पैरा 2.55 में निर्धारित उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार मौजूदा पोत लदान-पूर्व जाँच एजेंसियों (पीएसआईए) (दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार) को विभिन्न देशों में स्थित अपने कार्यालयों/शाखाओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे को अद्यतन करने और अपने प्रचालन क्षेत्र का विस्तार करने हेतु एएनएफ 2ठ (नया प्रारूप) में दिनांक 18 जून, 2015 तक नया आवेदन करना होगा यदि वे ऐसा करना चाहते हैं। दिनांक 18 जून, 2015 के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर जुलाई, 2015 के पश्चात विचार किया जाएगा।

2. सार्वजनिक सूचना सं. 12/2015-2020, दिनांक 18 मई, 2015 के पैरा 5 में संशोधन

संशोधित पैरा 5 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

विदेश व्यापार नीति 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक के संशोधित पैरा 2.55 में निर्धारित उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार नए आवेदक भी जो पोतलदान पूर्व निरीक्षण एजेंसी (पीएसआईए) के रूप में (दिनांक 1.7.2015 से) मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक हैं, एएनएफ 2ठ (नया प्रारूप) में निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 18 जून, 2015 तक आवेदन कर सकते हैं। दिनांक 18 जून, 2015 के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर जुलाई 2015 के पश्चात विचार किया जाएगा।

3. निम्नलिखित पैरा-7 को सार्वजनिक सूचना सं. 12/2015-2020, दिनांक 18 मई, 2015 में प्रविष्ट किया गया है:

7. एएनएफ-2ठ की क्रम सं.9 के तहत शर्त के अनुसार आवेदक प्रारंभ में बैंक गारंटी के बिना अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उनके आवेदनों को केवल बैंक गारंटी प्रस्तुत न करने की वजह से अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। तथापि, आवेदकों को विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया

पुस्तक 2015–20 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें पीएसआईए के रूप में अधिसूचित किए जाने से पूर्व बैंक गारंटी या समतुल्य वित्तीय दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

पी एस आई ए के रूप में पात्रता प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। आवेदक फिलहाल बैंक गारंटी के बिना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तथापि, उन्हें पीएसआईए के रूप में अधिसूचित किए जाने से पूर्व बैंक गारंटी या समतुल्य वित्तीय दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेल: dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/53/162/विविध/पीएसआईए/एम 15/एस-5/आई सी से जारी)